

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री शमीम अहमद पुत्र मोहम्मद अकबर निवासी सदर चौक नागौरी मौहल्ला, दौसा जिला
दौसा राज0 303303

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा/उपखंड अधिकारी लवाण/
तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

अपील संख्या 14/2025

निर्णय

दिनांक 12.3.2025

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा को प्राप्त पत्रादि की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांत को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक:डीएम कोर्ट/2025/402 दिनांक 14.02.2025 द्वारा पत्र जारी कर अपीलांत को वांछित नकल उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट चाही गई। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा ने पत्र क्रमांक: आर.टी.आई./2025/110 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना उपखंड अधिकारी लवाण, तहसीलदार लालसोट, आयुक्त, नगर परिषद दौसा व सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड दौसा से संबंधित होने से धारा 6(3) में स्थानान्तरित किया गया। उपखंड अधिकारी लवाण द्वारा अपीलांत को सीधे ही सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। आयुक्त, नगर परिषद दौसा व सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड दौसा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को नहीं है। तहसीलदार लालसोट ने अपीलांत को सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार लालसोट को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांत को वांछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।




(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा